दैनिक जागरण

ध्यान की दौलत से कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती है

प्रधानमंत्री का संदेश

यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून और साथ ही प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर अपनी बात कहने के लिए आगे आते। दिल्ली की एक रैली में उन्होंने यही किया। उन्होंने न केवल नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जिस एनआरसी को लेकर देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म कर लोगों को भड़काया जा रहा है उसकी तो अभी प्रक्रिया ही तय की जानी शेष है। इसमें संदेह है जिन लोगों और खासकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का मकसद ही लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है उनके रुख-रवैये में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आम जनता को तो यह समझना ही होगा कि हकीकत क्या है? इस क्रम में उसे यह भी जानना होगा कि आज जो कांग्रेस नागरिकता कानून के साथ-साथ प्रस्तावित एनआरसी का मुखर होकर विरोध कर रही है उसके शासनकाल में ही मतदाता पहचान पत्र, पैन, आधार कार्ड आदि जारी किए गए। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार किया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो, इसकी जरूरत नागरिकता कानून में दर्ज है और इसी कारण 1951 में पहली एनआरसी तैयार की गई। क्या अब यह काम महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंधविरोध से ग्रस्त होकर या फिर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लालच में अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं?

नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में बिना ज्यादा कुछ सोचे-समझे सड़कों पर उतरने वालों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार की रसोई गैस, आवास, बिजली संबंधी किसी योजना में जाति, मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया है? यदि अभी तक ऐसा कोई आरोप विरोधी दल भी नहीं लगा सके हैं तो इसका यही मतलब है कि नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ा गया। क्या यह किसी से छिपा है कि इस अभियान को किस तरह किस्म-किस्म के दुष्प्रचार के जरिये आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि दुष्प्रचार में लिप्त इन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक तत्वों को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। उन्हें इसकी तह में भी जाना होगा कि आखिर ऐसे तत्व किन कारणों से अपने इरादे में एक बड़ी हद तक सफल हो गए। यह अभियान इतना शातिर है कि जहां धरना-प्रदर्शन अराजकता से बच जा रहा है वहां तो भीड़ को श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है वहां सारा दोष पुलिस के सिर पर मढ़ दिया जा रहा है।

तकनीक का दुरुपयोग

तकनीक के इस युग में हर सुविधा लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होने से जिंदगी आसान हो गई है। पैसे का लेनदेन हो या कोई खरीदारी करनी हो तो मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह स्थिति तभी सुखद है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह घातक साबित होता है। साइबर ठग तकनीक का दुरुपयोग लोगों को प्रलोभन देकर ठगने में कर रहे हैं। लोगों के खून-पसीने की कमाई को पल में हड़पा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भी साइबर ठगों के जाल में उलझता जा रहा है। कई बार एटीएम का पिन पूछने व कई बार बैंक अधिकारी का नाम लेकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लग चुकी है। प्रदेश में लोगों के साथ ठगी के मामलों की निरंतरता बताती है कि लोग चेतना खो चुके हैं। बार-बार ठगे जाने पर हायतौबा जरूर मचाई जाती है, चिंता जताई जाती है, लेकिन जागरूक बनने के प्रयास नहीं किए जाते। किरदार बदल जाते हैं, लेकिन साइबर ठगी की कहानी एक जैसी ही होती है। इन मामलों से सबक सीखने के लिए कोई भी तैयार नहीं दिखता। प्रदेश के हर हिस्से से ठगी के मामले सामने आने से साबित हो जाता है कि ठगों का नेटवर्क अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है और लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझता है। सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए, क्योंकि लुटने वाले स्वयं तैयार बैठे दिखते हैं। हिमाचल की साइबर पुलिस ने भी कई मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। इसी जांच में सामने आया है कि लोगों को ठगने के दौरान साइबर अपराधी जन-धन खातों का उपयोग कर रहे हैं। यह इतने शातिर हैं कि लोगों के खाते कुछ पैसे देकर किराये पर ले रखे हैं, जिससे ठगी के पैसे इनमें ट्रांसफर कर सकें। हैरानी इस बात की है कि आम लोगों के साथ बड़े अधिकारी भी इनके जाल से नहीं बच पा रहे हैं। साइबर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए लोगों को जागना होगा। जब तक लोग ऐसे ठगों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक पुलिस भी मदद नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बेहतर है कि पहले ईमेल करने वाले या फोन करने वाले की पहचान कर ली जाए।

साइबर ठगी के बढ़ते मामले तकनीक के दुरुपयोग का साक्षात उदाहरण हैं। लोगों को सतर्क रहकर ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष नई समस्या

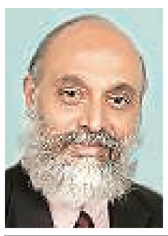

सी उदयभास्कर

सीएए विरोधी प्रदर्शनों से सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस कानून से भारत का पहले से ही जटिल आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और पेचीदा हो जाएगा

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन और उस पर पुलिस की सख्ती के चलते करीब 25 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों घायल भी हुए। कई अशांत इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अशांत रहा। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस ने अनावश्यक सख्ती बरती। इससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन करना आम नागरिकों का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है।

इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पुलिस ने जो बलपूर्वक कार्रवाई की वह मीडिया और आम नागरिकों के कैमरे में भी दर्ज हुई। यह सरकार के बेहद सख्त रवैये को दर्शाने वाली है। बेंगलुरु में महात्मा गांधी के नामचीन जीवनीकार रामचंद्र गुहा की गिरफ्तारी वाली तस्वीर भी सवाल उठाने वाली है। सीएए और उससे जुड़ी कवायद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन ने देश का एक अलग चरित्र प्रदर्शित किया है। हालांकि एनआरसी को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है और प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बार-बार इसे लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। फिर भी सीएए-एनआरसी के राजनीतिक निहितार्थ खासे जटिल हैं। फिलहाल आठ राज्य सीएए और एनआरसी की जुगलबंदी को लेकर अपनी असहजता जाहिर कर चुके हैं। इनमें वह बिहार भी शामिल है जहां भाजपानीत राजग के सहयोगी जदयू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है। वहीं असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में 'बाहरियों' को लेकर और भी ज्यादा जटिल चिंताएं हैं। इन चिंताओं की कड़ियां अगस्त 1947 में भारत विभाजन और फिर 1971 में बांग्लादेश के उदय के वक्त से जुड़ती प्रतीत होती हैं।

यहां यह भी याद दिला दें कि हालिया विरोध प्रदर्शन की लपटें सबसे पहले असम में 11 दिसंबर को तब सुलगीं जब नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कैब राज्यसभा से पारित हुआ। तब कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना की तीन टुकड़ियां तैनात की गईं। इनमें दो असम और एक त्रिपुरा में लगाई गई। हालांकि सेना की यह तैनाती बहुत संक्षिप्त अवधि के लिए हुई और जल्द ही कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंप दी गई। भाजपा और सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने भी विरोध प्रदर्शनों के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां कर स्थिति बिगाड़ने का काम किया। इसी सिलसिले में मोदी सरकार के एक मंत्री ने कहा, 'हमें जिहादियों, माओवादियों और अलगाववादियों को लेकर चौकस रहना होगा जो छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं।' ऐसी बातों के भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुरक्षा पेशेवर अक्सर ऐसी चुनौती को कम तीव्रता संघर्ष वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखते हैं। भारत जनवरी 1990 से ही इस चुनौती से जूझ रहा है जब पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का उभार हुआ था। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां दो श्रेणियों में देखी जाती रही हैं। एक तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जिसकी जड़ें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में बेहद गहरी थीं। या फिर मुंबई में हुए वीभत्स आतंकी हमले को इसमें गिना जा सकता है। दूसरी चुनौती माओवादी-नक्सलवाद यानी वामपंथी चरमपंथ से जुड़ी है जिसने एक लाल गलियारा चिन्हित किया था जो अब छत्तीसगढ़ के एक छोटे इलाके तक सीमित रह गया है।

बीते कई दशकों में भारतीय सुरक्षा तंत्र को तमाम जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ा। ये चुनौतियां अक्सर अवसरवादी राजनीतिक गतिविधियों या कुछ दुस्साहसिक कवायदों से उत्पन्न हुईं। इनमें सबसे कुख्यात खालिस्तान आंदोलन रहा। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शन अतीत के ऐसे अनुभवों से इतर हैं। उन्हें दबाने के लिए वैसी सरकारी कड़ी कार्रवाई की दरकार नहीं जैसी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। ऐसे में सीएए विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए एक सवाल यही उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस कानून से भारत का पहले से ही जटिल आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और पेचीदा हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के दो अहम पहलुओं को मूर्त रूप दिया है। इसमें एक तो 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के रूप में और दूसरा 11 दिसंबर को सीएए के तौर पर किया गया। ऐसी कवायदों में मुस्लिमों को 'अलग नजरिये' से देखने की मंशा को लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले 'अल्पसंख्यक' समुदाय द्वारा ही नहीं, बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाले सभी भारतीयों द्वारा महसूस किया जा रहा है।

कश्मीर में अब कड़वाहट और तल्खी के साथ ठहराव साफ महसूस होता है। वहां पिछले 140 से भी अधिक दिनों से इंटरनेट बंद है। अधिकांश सुरक्षा विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि आने वाली गर्मियां कश्मीर में काफी अशांत हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में अगर मोदी सरकार ने नागरिकों की चिंताएं दूर करने के लिए सहानुभूति के साथ राजनीतिक संपर्क नहीं साधा तो देश का सामाजिक तानाबाना अस्थिर हो जाएगा। वहीं सीएए समर्थक और हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग खतरनाक बयान देकर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ नेता गोधरा कांड की याद दिला रहे हैं तो दिल्ली में भाजपा के एक स्थानीय नेता सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए 'गोली मारो गद्दारों को' सरीखे आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। ऐसे में विभिन्न धर्मों के आक्रोशित नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक मंशा के साथ सोचे-समझे दमन पर आमादा हो गई है।

आंतरिक सुरक्षा बहुत नाजुक और अस्थिर मुद्दा है। इसमें भारत के अनुभव भी बहुत दर्दनाक रहे हैं। इनकी शुरुआत भारत विभाजन के साथ ही हो गई थी जब हिंदू-मुस्लिम विभाजन की खाई भयावह मानवीय त्रासदी बनी। फिर 1984 में सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुई सिलसिलेवार हिंसा और 2002 के गुजरात दंगे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियों की कमान संभालने वालों के मुंह पर कालिख हैं।

इस प्रकार देखें तो कोई भी जिम्मेदार एवं नैतिक राजव्यवस्था ऐसे अनुभवों से सही सबक लेकर नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, भले ही उनके विचार कितने भी विरोधी क्यों न हों। संविधान की यही भावना है। उम्मीद है कि आगामी 26 जनवरी को इन भावनाओं का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया जाएगा।

(लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

चरण सिंह की कमी महसूस करते किसान

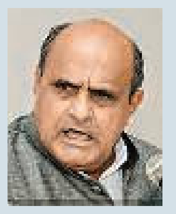

केसी त्यागी

उनके प्रयासों से ही आढ़तियों का दबदबा कम हुआ और किसानों के लिए नाबार्ड जैसी संस्था की राह बन सकी

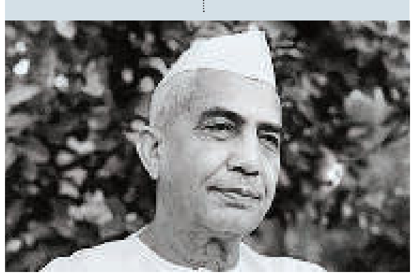

डॉ. आंबेडकर, सरदार पटेल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तीसरे ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचारों को उनके जीवनकाल में उतनी स्वीकार्यता और प्रसिद्धी नहीं मिली जितनी उनके निधन के बाद। आज चरण सिंह की जयंती है जिनकी स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक ऐसे दौर में जब देश में किसान और कृषि क्षेत्र तमाम समस्याओं से जूझ रहा है तब जमीन से जुड़े ऐसे नेता का स्मरण और व्यवस्था में उनके योगदान को याद करना बहुत जरूरी लगता है। आज की ग्रामीण बदहाली, उपेक्षा, किसानों की आत्महत्याएं, गांवों से शहर की ओर बढ़ता पलायन, गांव-शहर के बीच बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमताएं आदि विषय उनकी राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता को जीवित बनाए हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान आक्रोश का केंद्र बिंदु बने आंदोलन उनका जिक्र किए बगैर अधूरे ही रहते हैं। एक समय जब बड़े-बड़े दिग्गज पंडित नेहरू से वाद-विवाद करने से कतराते थे, उस समय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पंडित नेहरू की नीतियों पर कटु प्रहार किया और सहकारी कृषि के विषयों को लेकर अपने भाषण में अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तालियां भी बटोरीं। उस समय नेहरू कांग्रेस पार्टी के पर्याय और कांग्रेस के वैचारिक सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते थे। कांग्रेस के भीतर उनके वैचारिक तिलिस्म को तोड़ने का यह पहला प्रयास था, जिसकी कीमत उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होकर चुकानी पड़ी थी। आजादी के बाद कांग्रेसी सरकारों के समक्ष अपने घोषणापत्रों को अमल में लाने की भी नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती थी। अधिकांश कार्यक्रम आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए गए संकल्प थे जिनमें भूमि सुधार एक मुख्य कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और चौ. चरण सिंह उनके राजस्व मंत्री थे। ग्रामीण आर्थिक नीति-निर्माताओं का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसा भूमि सुधार किसी भी राज्य में संभव नहीं हो पाया। वामपंथी और समाजवादी आंदोलन के इस नारे 'जो जमीन को जोते-बोये वो जमीन का मालिक है' का क्रियान्वयन करने का दायित्व भी उन्होंने निभाया।

डॉ. लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गैर कांग्रेसवाद की जिस राजनीति की पटकथा तैयार कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ाने का काम भी चौधरी साहब के जरिये ही संभव हो सका। वह उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनकी गिनती आज भी सबसे प्रभावी, कुशल प्रशासक और ईमानदार राजनेता के रूप में होती है। 1974 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के विरोध में एक प्रभावी विकल्प के निर्माण की दिशा में एक नए दल की रचना की जिसमें भारतीय क्रांति दल के साथ-साथ समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, स्वतंत्र पार्टी जैसे महत्वपूर्ण दल शामिल हुए। बाद में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान आपातकाल के बाद यही दल जनता पार्टी के गठन की बुनियाद भी बना। चौधरी साहब के राजनीति में प्रभावी दखल से पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कोई व्यवस्था अमल में नहीं थी। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से किसानों की फसलों के दाम घोषित किया करती थी। उनके कार्यकाल में आढ़तियों की भूमिका पर अंकुश लगा और किसानों की सहमति भी आवश्यक बनाई गई। वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने नाबार्ड की व्यवस्था की जिससे किसानों को कर्ज मिलने की प्रक्रिया आसान हुई और सूदखोरों पर लगाम लगी।

राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रवेश देरी से हुआ जिसका एक बड़ा कारण उस समय के कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेतृत्व से लगातार वैचारिक मतभेद भी रहा। उन्होंने राजनीति के विमर्श, नारों को बदला, प्राथमिकताओं की अदला-बदली पर जोर दिया और डॉ. आंबेडकर के बाद किसानों तथा पिछड़ों की राजकाज में हिस्सेदारी से जुड़े सवाल उठाया। 1937 में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार किसानों के लिए 50 फीसद आरक्षण की मांग का मुद्दा उठाकर कांग्रेस नेतृत्व को अचंभित भी कर दिया था। उस दौर में ग्रामीण पृष्ठभूमि और खासतौर पर किसान समूहों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। बाद में उन्होंने सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मांग उठाई। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें ठंडे बस्ते में कैद थीं और परिवर्तन तथा भागीदारी के लिए बेचैन इन समूहों का निरंतर संघर्ष जारी था। उन्हीं के प्रयासों से मंडल आयोग का गठन किया गया जिसमें पिछड़े वर्ग के समूहों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था। इन्हीं सवालों की प्रखरता के कारण पार्टी में विवाद भी बढ़े और समाज के अभिजात्य वर्ग के द्वारा उन्हें जातिवादी नेता के रूप में बदनाम करने का अभियान भी चलाया गया।

ऐसे महापुरुषों की राजनीतिक विचारधारा समय काल की भी प्रतीक्षा में रहती है। आज कोई दल पिछड़े वर्गों की साझेदारी और भागीदारी को अपनी पार्टी का कार्यक्रम बनाने में गर्व महसूस करता है। सभी दलों के घोषणापत्र वंचित समूहों के आरक्षण लागू करने के संकल्प के साथ प्रारंभ होते हैं। धीरे-धीरे दलों के नेतृत्व में भी इन समूहों की हिस्सेदारी की झलक स्पष्ट दिखती है।

आज हम चौधरी साहब की 118वीं जयंती पर उनका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने जिन सवालों को आवाज दी उसके स्वर मद्धम न पड़ जाएं, इसके लिए हमें अनवरत रूप से जागरूक रहने की जरूरत है। किसान आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। खेती मुनाफे का सौदा नहीं बची है। गांव महानगरों के उपनिवेश बन चुके हैं। कृषि पर बढ़ते बोझ को अन्य गैर कृषि कार्यों में लगाने का सिलसिला बंद है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन उच्च नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में उनकी उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं हो पा रही है। राजनीति में शुचिता और ईमानदारी उनके व्यक्तित्व के गुण थे जो आज उनके समर्थकों की कार्यशैली से लुप्त हो गए हैं। इसलिए आज एक और चौ. चरण सिंह की आवश्यकता अब महसूस हो रही है जो उसी प्रखरता, तत्परता, व्यग्रता, कुशलता के साथ उन कार्यक्रमों को अमली जामा पहना सके।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता

एक छात्र आइएएस बनना चाहता था। दुर्भाग्यवश काफी मेहनत के बावजूद भी वह अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। वह इस असफलता को आत्मसात नहीं कर पाया और समय के साथ निराशाओं के चक्रव्यूह में फंसता गया। जीवन में सपनों के टूटने के बाद निराश होना मानवीय प्रवृत्ति है, पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर जीवन में असफलताओं से कितना हताश हुआ जाए? क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने में असफल होना जीवन को हार जाने सरीखा ही अहम होता है? महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, 'हमारी सबसे बड़ी खासियत जीवन में कभी नहीं गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने पर हर बार उठकर खड़े होने में है।' असफलताएं सफलताओं तक पहुंचने के लिए सोपान का कार्य करती हैं। असफलताओं की कोख में ही सफलताओं के भ्रूण छुपे होते हैं। हेनरी फोर्ड के अनुसार, 'असफलता का अर्थ महज किसी कार्य को फिर और भी अधिक तन्मयता के साथ शुरू करने का एक अवसर है।' असफलता की स्थिति में निराशा से बचना आसान तो नहीं होता है, लेकिन इससे जल्दी बाहर नहीं आने पर जीवन का वजूद ही संकट में पड़ जाता है। लिहाजा जब कभी आप अपने मुकाम हासिल करने में असफल हो जाएं तो परेशान न हों, बल्कि सफल होने के लिए एक बार और गंभीरता से कोशिश करें।

यदि आप अपने जीवन में हार से कुछ-न-कुछ सीखते हैं तो आप हारे हुए नहीं हैं। प्रत्येक हार में जीवन में सफल होने के लिए अनमोल सबक छुपे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम पराजय में छुपे हुए उन अनमोल मोतियों को पहचान ही नहीं पाते हैं। असफलता घातक नहीं होती है, पर असफल होने के बाद खुद को परिवर्तित नहीं करने की जड़ता ही हमें सफलता की राह में आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सफलता के मुरीद हैं तो असफलताओं से भयभीत होकर रुकें नहीं, बल्कि इनमें जीवन के सबक को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि सफल होने के लिए निरंतर कोशिश में ही जीवन का वास्तविक सार छुपा होता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

न करें अपनी संपत्ति का नुकसान

अनीश कुमार

सार्वजनिक संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है। उसकी रक्षा करना हर राजनीतिक दल और नागरिक का भी कर्तव्य है

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंसा, आगजनी और अराजकता की कोई जगह नहीं है। हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है और हमने स्वेच्छा से मताधिकार को स्वीकार किया है। लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद की सरकार बनाती है और कर आदि देकर उसे टिकाए रखती है। किंतु नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कुछ दल जिस तरह से देश के कुछ क्षेत्रों में एक वर्ग के लोगों और छात्रों को भड़का रहे हैं, वह लोकशाही की मर्यादाओं के खिलाफ है।

सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है। हमारे-आपके दिए गए करों से बनाई गई है। उसकी रक्षा करना हर राजनीतिक दल और नागरिक का भी कर्तव्य है। यदि आप सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस, रेल, दफ्तर आदि में आग लगाकर जला देते हैं अथवा तोड़फोड़ करते हैं तो उसकी भरपाई जनता को ही करनी पड़ती है। सरकार बस या रेल का किराया और टैक्स बढ़ाकर नई बस मंगा लेगी। उसका खामियाजा जनता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार के पास पैसा कहीं आसमान से नहीं आता है। वह जनता के दिए गए करों से ही सारी व्यवस्था चलाती है। इसलिए अपनी ही संपत्ति में आग लगाकर कोई न तो अपना भला कर सकता है और न देश का भला कर सकता है। अपने ही घर में आग लगाना पागलपन की निशानी है।

सरकार की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस कानून का देश के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी कुछ दल यही माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। यह देश के साथ खिलवाड़ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या देश के विभिन्न मुस्लिम शिक्षा संस्थानों के छात्रों को बरगलाकर सड़क पर उतरने वाले यही नहीं साबित कर रहे कि उन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क बहुसंख्यकों की चिंता खाए जा रही है? अगर भारत इन देशों के बहुसंख्यकों के बजाय वहां सताए और अपमानित किए जा रहे अल्पसंख्यकों की परवाह कर रहा है तो इसे लेकर आसमान सिर पर उठाने का क्या मतलब?

इसमें कोई संदेह नहीं इन छात्रों को कुछ लोग भड़का कर अपना हित साधना चाहते हैं। यह समझने की जरूरत है कि नागरिकता कानून संसद में पारित हुआ है, जो देश की प्रतिनिधि संस्था है। इसके पीछे सरकार की अपनी सोच है, जिससे असहमत होने का अधिकार हर किसी को है। भारतीय लोकतंत्र में असहमति जताने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है। जिसने कई कानूनों को पहले भी रोका है, और उसमें संशोधन कराया है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिये ही किया जा सकता है तो उसकी बात पर कान नहीं देना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अंध विरोध की पराकाष्ठा

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'अराजकता फैलाने वाली राजनीति' में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस अतार्किक विरोध की बात की है, वह एकदम सही है। नागरिकता कानून को लेकर पिछले एक हफ्ते से एक वर्ग विशेष द्वारा पूरे देश में जो आगजनी, तोड़-फोड़ और पुलिस बल पर पथराव किया जा रहा है, वह अंध विरोध की पराकाष्ठा है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना 'हम नहीं मानेंगे' की उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। यह स्थिति तब है जब मीडिया जगत इस नागरिकता कानून के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देकर आम जनता को गुमराह न होने की ताकीद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संबोधन में बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस नागरिकता संशोधन कानून से देश के किसी भी धर्मावलंबी की नागरिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई कागजी सुबूत पेश करना होगा। बावजूद इसके पिछले एक हफ्ते से बहके और गुमराह लोगों की बेकाबू भीड़ द्वारा देश को बंधक बनाने की साजिश की जा रही है। ऐसे में जहां पर पुलिस संयम बरत रही है वहां उपद्रवियों की पत्थरबाजी से घायल हो रही है और जहां इन पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग कर रही है वहां विपक्षी दलों की आलोचना का शिकार हो रही है। यह एक ऐसी अजीब स्थिति है जिससे पार पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का अराजक विरोध और उसको शह देने वाला अंध विरोधी विपक्ष हो तो वह सत्ता पक्ष क्या करे? जो राष्ट्रहित में कुछ सकारात्मक करना चाहता है। वर्तमान का नागरिकता संशोधन कानून और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाला एनआरसी मोदी सरकार की ऐसी ही राष्ट्रहितैषी कार्ययोजनाएं हैं जो देश की असंतुलित जनसंख्या को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अपने यहां की जनसांख्यिकी को संतुलित करने का अधिकार हर देश को है। भारत की वर्तमान केंद्रीय सत्ता यदि राष्ट्रहित में वही कुछ कर रही है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है?

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

हिंसात्मक विरोध गलत

नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसात्मक विरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। हिंसा से किसी भी विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने अपने अहिंसात्मक धरने एवं अनशन से देशहित से जुड़ी ज्यादातर बड़ी मांगों को सफलतापूर्वक मनवा लिया था। यदि मौजूदा कानून को लेकर किसी वर्ग को कोई आपत्ति है तो वो शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के ताजा मसले पर लोगों व छात्रों को बरगलाया जा रहा है। हमारे मुल्क में ही मौजूद कुछ स्वार्थी तत्व देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आम नागरिकों को आपसी भाईचारे की भावना का परिचय देते हुए इस कानून की बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। सीएए से किसी भी मौजूदा नागरिक को कोई खतरा नहीं है। आम नागरिकों को हिंसा का मार्ग त्यागकर सरकार का सहयोग करना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

प्याज-आलू के भाव

प्याज के बाद अब आलू के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं। दोनों ही फसलों का इस समय सीजन चल रहा है। इसके बावजूद इनके भाव कम नहीं हो रहे हैं। प्रति वर्ष इस समय आलू तो 10 से 15 रुपये किलो के बीच मिलता था, मगर इस साल 30 रुपये किलो बिक रहा है। घर-घर में इस्तेमाल होने वाले आलू को खरीदते समय एक आम आदमी को सोचना पड़ रहा है। इससे भी खराब स्थिति प्याज की है, जो सौ और 120 रुपये किलो तक बाजार में बिक रही है, जबकि हरी प्याज बाजार में आ गई है। सूखी प्याज के भाव चढ़े होने से हरी प्याज भी ऊंचे भाव पर मिल रही है।

पंकज कुमार मुखी, गुरुग्राम

जागरूक बनें

लोगों को पता ही नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून में क्या है। विरोध करने वालों ने जानने की भी कोशिश नहीं की। वैसे भी यदि इसका विरोध शांतिपूर्वक किया जाता तो न तो आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता।

कशिश वर्मा, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेलः mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।